मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक सी-6-2-2019-3-एक भोपाल दिनांक 9 अप्रैल, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,

समस्त संभागायुक्त,

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त कलेक्टर,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

मध्यप्रदेश।

विषय:- एक वर्ष से अधिक समय से निलंबित शासकीय सेवकों के मामलों की समीक्षा।

सन्दर्भ:-सा.प्र.विभाग का ज्ञाप क्र. सी 6-2-78-3/एक, दिनांक 27/09/1978 तथा ज्ञाप क्रमांक सी-6-2-2013-3-एक, दिनांक 28.01.2013

विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 6-2-78-3-1, दिनांक 27/09/1978 एवं क्रमांक सी-6-2-2013-3-1, दिनांक 28 जनवरी, 2013 द्वारा एक वर्ष से अधिक समय तक निलंबित शासकीय सेवकों के मामले में समीक्षा के लिए विभिन्न स्तर पर समिति गठित की गई है। दिनांक 28/1/2013 को जारी परिपत्र में राज्य स्तर पर कर्मचारियों के लिए समिति गठन का उल्लेख नहीं होने से कतिपय विभागों द्वारा इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है। इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है कि दिनांक 27 सितम्बर, 1978 एवं 28 जनवरी, 2013 द्वारा निलंबन से बहाली के प्रकरणों की समीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार समिति गठित की गई है:-

....2

1. राज्य प्रशासनिक सेवा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए शासन स्तर की समिति :-

1.अपर मुख्य सचिव, सा.प्र.विभाग (विधिक तथा सतर्कता प्रकोष्ठ)	अध्यक्ष
2.प्रमुख सचिव, राजस्व	सदस्य
3.प्रमुख सचिव/सचिव, विधि	सदस्य
4.सचिव "कार्मिक"	सदस्य
5.उप सचिव "कार्मिक"	सदस्य सचिव

2. राज्य प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त अन्य विभागों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की समीक्षा हेतु गठित समिति:-

1.विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव	अध्यक्ष
2.संबंधित विभागाध्यक्ष	सदस्य
3.विधि विभाग के उप सचिव/ अपर सचिव	सदस्य
4.विभाग के उप सचिव(स्थापना संबंधी)	सदस्य सचिव

3. सचिवालय(मंत्रालय) के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए:-

निलंबित शासकीय सेवक जिस श्रेणी का है उस श्रेणी में पदोन्नति के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति।

4. जिन कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी विभागध्यक्ष या आयुक्त हो उनके लिए:-

1. संबंधित विभागध्यक्ष/आयुक्त	अध्यक्ष
2. संबंधित विभाग के उप सचिव	सदस्य
3. विभागाध्यक्ष के ठीक नीचे का वरिष्ठतम अधिकारी/आयुक्त के द्वारा मनोनीत अधिकारी	सदस्य सचिव

5.संभाग स्तर की समिति

1.संबंधित संभागायुक्त	अध्यक्ष
2.संबंधित जिले के कलेक्टर	सदस्य

....3

3.संबंधित विभाग का संभागीय अधिकारी   सदस्य

4.उपायुक्त(राजस्व)   सदस्य सचिव

6.जिला स्तर की समिति

1.जिला कलेक्टर   अध्यक्ष

2.संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी   सदस्य

3.कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी   संयोजक

2/ उपरोक्त समितियाँ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2013 को जारी दिशा-निर्देशों में उल्लेखित मापदण्डों के अनुसार परिक्षण कर निर्णय/अनुशंसा करेगी।

(सी.बी. पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन सी-6-2-2019-3-एक   भोपाल दिनांक 9 अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
3. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।

..4

12.सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।

13.सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।

14.सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।

15.सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।

16.सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।

17.मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।

18.महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।

19.आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।

20.समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।

21.मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।

22.अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी.बी.पड़वार)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग